



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GD 111487

(प्रारूप "अ")

मैं आकाश कुमार संयुक्त नविव दि सनातन धर्म कॉलेज एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित बयान करता हूँ :-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा एसोसिओ इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी पता भोपा रोड मुजफ्फरनगर नामक जिल्ला इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सनातन धर्म कॉलेज एसोसिएशन की पता मुसूफपुर तहसील व जिला मुजफ्फरनगर में गाटा संख्या 453/2, 454, 455, 464, 466, 467, 468, 469/1, 473/1, 475, 477, 478, 476, 441/2, 463/1, 465, 470/1 एवं 472/1 रकबा क्रमशः 0.0410, 0.1230, 0.3380, 0.1640, 0.1640, 0.2360, 0.2770, 0.3940, 0.2970, 0.3690, 0.0720, 0.2680, 0.1330, 0.0200, 0.1540, 0.2250, 0.0920 एवं 0.0250 हेक्टेयर (कुल रकबा 3.3700 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

PRERNA IYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

2 SEP 2023


NOTARY

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 477, 478 एवं 467 रकबा क्रमशः 0.072, 0.266 एवं 0.125 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.463 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्था की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 03.07.2014 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्ररुनगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्था के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में प्रणी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।



PRERNA TYAGI
NOTARY
JHAFFARNAGAR

2 SEP 2014

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा ऋटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 संयुक्त सचिव



Subscribed before me this day of _____
the deponent is/are identified by Sr _____
I have been satisfied to read to and explain to the deponent the content of the affidavit which has been read out and explained by me to the deponent fee charge _____
NOTARY DISTRICT MUZAFFARNAGAR

Identified by

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

2 SEP 2023